पोल्ट्री इंट्रीग्रेशन नियमावली - तुलनात्मक अध्ययन

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

एवं

कम्पनीज: मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

उद्देश्य

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

भारत सरकार द्वारा जारी मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली यह सुनिश्चित करने के लिए है कि :-

» छोटे किसानों और बड़ी कंपनियों के बीच बराबरी का मैदान बनाना

» अनपढ़ व अनभिज्ञ किसानों के हितों की रक्षा करना

» अच्छी पद्धतियों के आधार पर भारत में पोल्ट्री सेक्टर का विकास करना

» राज्यों में पोल्ट्री सेक्टर विकास हेतु राज्य सरकारें और बैंक विभिन्न उत्पादों और नीतियों को निर्धारण

» अधिनियम व प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष व्यापार सुनिश्चित करना

» सभी दावों और विवादों को उचित नियमों और शर्तों के आधार पर समाधान

» मानव व संस्थागत उपयोग, निर्यात के लिए FSSAI व अन्य मानकों के अनुसार ब्रायलर उत्पादन

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

» किसानों व व्यवसाय चैनल द्वारा किए जा रहे उत्पादन व व्यापार को कब्जाना तथा मोनोपोली कायम कर उपभोक्ताओं को मनमर्जी मुल्यो में पोल्ट्री उत्पाद उपलब्ध करवाना

कॉन्ट्रैक्ट पंजीकरण
(Registration of the Contract)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तथा संलग्न अनुसूची सहित "मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट 2018" तहत जिला पंजीकरण कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होंगे, जिससे कि तय नियमों व शर्तो से दोनों पक्ष बदल नहीं सकते है तथा दोनों पक्षों के पास पंजीकृत कॉपी होगी।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

एग्रीमेंट का पंजीकरण तो दूर की कोड़ी है, यह एकतरफा एग्रीमेंट होता है और बगैर दिनांक और सम्यावधि के किए जाते है और किसान को इसकी कोई कॉपी नहीं मिलती है। मुख्य एग्रीमेंट अंग्रेजी में होता है जिसको किसान पढ़ ही नहीं पाता है।

अनुबंध विस्तार और विच्छेदन
(Extension & Discontinuation of the Contract)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

दोनों पक्ष न्यूनतम 45 दिनों की सूचना देने के बाद इस समझौते का नवीनीकरण या खत्म करने का अधिकार रखते है।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

कोई भी पक्ष समझौते का नवीनीकरण या खत्म करने की सूचना पहले नहीं देते है। एक महीने के लिए एग्रीमेंट में लिखा जाता है लेकिन वास्त्विकता में यह प्रचलन में नहीं है।

प्रथम पक्ष भूमिका – कॉन्ट्रैक्ट कंपनी
(Role of First Party – Contract Company)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

कंपनी द्वारा प्रदान सभी सामग्री (चिक्स, दाना, दवाई) लागू मानदंडों, मानकों और नियमों के अनुसार हो ताकि अच्छा FCR आये और सुरक्षित व स्वस्थ ब्रॉयलर प्रोसेसिंग व विक्रय को सुनिश्चित किया जा सकें। कंपनी निम्न सामग्री प्रदान करेगी-

1. चूजा - स्वस्थ एवं रोग मुक्त चूजा
2. फ़ीड - लागू कानूनों, मानकों और पोषण आवश्यकताओं के अनुसार
3. दवाईयां - कंपनी पशुचिकित्सा अधिकारी की सिफारिशों तथा लागू कानूनों और मानकों तहत एवं सम्यावधि अनुसार होनी चाहिए
4. ट्रेसेबिलिटी - कंपनी द्वारा प्रदान की गई सभी सामग्री को इस तरह से चिह्नित किया जाना चाहिए ताकि चोरी और खराब गुणवत्ता के मामले में ट्रेसेबिलिटी स्थापित की जा सके
5. क्वालिटी प्रमाणिकता - सभी प्रदान की गई सामग्री के साथ कंपनी एक गुणवत्ता प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगी ताकि लागू मानकों और कानूनों से विचलित होने की स्थिति में किसानों पर कोई दायित्व न हो
6. लेबलिंग - सभी प्रदान की गई सामग्री ठीक से लेबल हो
7. फ्लॉक संख्या - वर्ष में कम से कम 5-6 प्लेसमेंट सुनिश्चित करेगा

कम्पनीज : कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

सभी सामग्री पर लागू मानदंड, मानक, लेबल, रेगुलेशन, ट्रेसेबिलिटी एवं प्लेस्मेंट संख्या सुनिश्चित करने का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है| उत्पादन व फ्लॉक खराब होने पर सिर्फ किसान को दोषी, चोर व डकैत माना जाता है| कंपनी में चिकित्सा अधिकारी के बजाय 10 वी -12 वी स्टैंडर्ड के लाईन सुपरवाईजर बीमारियों की जाँच व उपचार करते है।

द्वितीय पक्ष की भूमिका - कॉन्ट्रैक्ट फार्मर
(Role of Second Party - Contract Former)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

किसान, सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार अनुबंधित कंपनी के लिए निम्नलिखित वस्तुएं प्रदान करेगा:-

1- ब्रॉयलर उत्पादन हेतु उचित शेड

2- बिछावन सामग्री

3- खाने व पानी के बर्तन

4- कुशल व अकुशल श्रमिक

5- उपयुक्त तापमान बनाए रखने की व्यवस्था

6- अच्छा पानी

7- बिजली व्यवस्था और वाहन पथ

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

सभी सामग्री की व्यवस्था के लिए किसान पहले भी उत्तरदायी था और अभी भी उत्तरदायी हैं।

मोर्टेलिटी (Mortality)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

पक्षियों की मृत्यु एक गंभीर कारक है जो पोल्ट्री व्यवसाय की व्यवहारिकता (viability) को प्रभावित करता है। मोर्टेलिटी कंपनी सप्लाई किए गए चूजा - फीड - दवा इत्यादि की क्वालिटी, मौसम व तापमान, माइक्रोबियल संक्रमण, सामान्य स्वच्छता इत्यादि सहित कई जैविक और अजैविक कारकों पर निर्भर करती है। चूंकि मोर्टेलिटी कई मापदंडों पर आधारित है, दोनों अनुबंधित पक्ष दिशानिर्देशों के साथ संलग्न विस्तृत सूची के अनुसार दी गई परिस्थितियों के अनुसार मृत्यु दर का निर्धारण करेंगे।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

मोर्टेलिटी के दूसरे कारको का कोई स्थान नहीं है, कंपनी स्टाफ एक जगह रहता है तथा फॉर्म - फॉर्म भ्रमण करने से वह स्वयं वायरस व बैक्टिरिया के वाहक होते है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म फीड पहुँचाया जाता है, इत्यादि जैविक व अजैविक कारकों का मोर्टेलिटी निर्धारण में कोई स्थान नहीं दिया जाता है सिर्फ किसानो के मैनेजमेंट को ही जिम्मेदार माना जाता है।

एफ.सी.आर परफॉर्मेंस (FCR Performance)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमे एफ.सी.आर. और अनुबंध वित्तीय परफॉर्मेंस में सुधार करने के लिए कंपनियों को किसानों को एफ.सी.आर. परफॉर्मेंस बोनस प्रदान करना चाहिए जो पारस्परिक रूप से लाभप्रद होना चाहिए। यह दोनों पक्षों के लिए कार्य संस्कृति और आर्थिक लाभ में सुधार करेगा| बशर्ते कि कंपनी द्वारा आपूर्ति क़्वालिटी चिक्स व प्रमाणित गुणवत्ता फीड, मौसम व मैंजेमेंटल स्थिति में एफ.सी.आर. प्राप्त करने में सक्षम हो।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमे एफ. सी. आर. की नियमावली त्रुटिपूर्ण व एकतरफा है। एफ. सी. आर. खराब होता है तो किसान के पैसे काट लिये जाते है और एफ. सी. आर. अच्छा होता है तो उसका बहुत कम लाभ दिया जाता है, जो कि ऊँट के मुंह में जीरा जितना है।

नुकसान की वसूली (Recovery of Damages)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

सामान्य व्यवसाय के कारण अनजाने में हुए नुकसान की वसूली कंपनी को बीमा कंपनी से की जानी चाहिए। किसी अन्य क्षति के मामले में पीड़ित पक्ष कॉन्ट्रैक्ट फार्म जिले में जिला प्रशासन या सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) द्वारा मध्यस्थता या मध्यस्थता के माध्यम से या किसी अन्य उचित कानूनी पद्धति से इन नुकसानों की वसूली कर सकता है, जो दोनों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो। किसान स्टॉक का मालिक नहीं, संरक्षक होता है इसलिए कंपनियां किसान से ब्लैंक चेक जमा करने की मांग नहीं कर सकती हैं।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमे कंपनी किसान से 2 -3 ब्लैंक चेक जमा कर लेती है तथा किसी भी क्षति के मामले में वसूली किसान से की जाती है।

विवाद समाधान (Dispute Resolution)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

» इसमे यदि कंपनी एग्रीमेंट के किसी क्लॉज़ से विचलित हो रही है, तो उस स्थिति में किसान किसी भी परिस्थिति में कंपनी के किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होंगा तथा कंपनी अनुबंध अनुसार किसान को पूरा शुल्क देने के लिए बाध्य है।

» यदि किसान प्रदान किए गए दिशानिर्देशों से भटक रहा है, तो कंपनी के अधिकारी किसान के साथ मामले को उठा सकते है, इसे नोट करेंगे, उपयुक्त सबूत एकत्र करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो विवाद समाधान प्रक्रिया के समय प्रदान किया जाएगा।

» किसी भी विवाद के मामले में, स्थानीय न्याय क्षेत्र प्रक्रिया लागू होगी।

» उत्पादन पोल्ट्री फार्म जिला मुख्यालय मध्यस्थता का स्थान होगा। मध्यस्थों की नियुक्ति दोनों पक्षों की आपसी सहमति से की जाएगी।

» किसी भी गतिरोध के मामले में, संबंधित अधिकारी हस्तक्षेप करेंगे और मामले के लिए मध्यस्थ नियुक्त करेंगे।

» किसी भी विवाद या बीच का रास्ता न होने की स्थिति में, जिला प्रशासन मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार विवाद समाधान की सुविधा प्रदान करेगा।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमें कंपनी विवाद समाधान के लिए गलत तरीके से किसानो को फँसाती है तथा धन ,बल का उपयोग कर अपने हक में फैसला करवाती है व किसानो को प्रताड़ित करती है, ताकि उनका इलाके में खौफ बना रहे।

किसान ग्रोइंग चार्ज भुगतान व भुगतान का तरीका
(Growing Charges to be Paid to Farmer and Mode of Payment)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

- ग्रोइंग चार्ज की गणना मापदंडों, भारत के लेखांकन (Accounting) स्टैंडर्ड्स तथा कॉन्ट्रैक्ट किसान परामर्श और मानदंडों पर सहमत होने इत्यादि आधार पर किया जाना चाहिए तथा किसान फार्म / फ्लॉक खर्च आंकलन व अपनाई सहमति को अनुबंध समझौते के साथ शामिल करना होंगा।
- कंपनी द्वारा सभी भुगतान फ्लॉक क्लोजर तारीख से 7 कार्य दिवस भीतर चेक, ड्राफ्ट या RTGS द्वारा किए जाने चाहिए।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

मानदंड कंपनी ने एकतरफा बनाए है, किसान के लागत खर्च (फिक्स + वेरीएबल) पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कटौती के भारी भरकम प्रावधान है जबकि बोनस ऊँट के मुंह में जीरा जितना है तथा भुगतान कितने दिन में किया जाएगा कंपनी से कंपनी अलग अलग नियम है।

अनुबंध संलग्नक अनुसूची
(Schedule to be enclosed with Contract)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इस नियमावली में अनुबंध के साथ अनुसूची संलग्न की जानी है जो निम्न है -

अनुसूची-1 : उपरोक्त एग्रीमेंट में उपयोग फार्म संपत्ति का विवरण
अनुसूची-2 : जॉब वर्क हेतु कॉन्ट्रैक्ट फार्मर लागत खर्च / फ्लॉक खर्च ब्रेअकप
अनुसूची-3 : चूजे से ब्रायलर तक अनुबंध किसान बैच पर देय ग्रोइंग चार्ज विवरण
अनुसूची-4 : मोर्टेलिटी निर्धारण गणना चार्ट भत्ता व कटौती सहित
अनुसूची-5 : एफ.सी.आर. गणना चार्ट भत्ता व कटौती सहित
अनुसूची-6 : अनुबंध वैधता अवधि
अनुसूची-7 : विविध, यदि कोई हो

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमे अनुबंध के साथ कुछ ही व आधी अधूरी सूची बनाई जाती है।

ग्रोइंग चार्ज (Growing Charges)

भारत सरकार : मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमे ग्रोइंग चार्ज (GC) **निम्नवत होगा** -

i) **स्टैंडर्ड ग्रोइंग चार्ज** (SGC / SPC) = उत्पादन पैरामीटर के अनुसार कम्पनी व फार्मर के मध्य तय ग्रोइंग चार्ज राशि

(फेडरेशन सुझाव : यह राशि फार्मर द्वारा फ्लॉक पालन में किये कुल खर्च + फार्मर फ्लॉक पालन कुल खर्च का कम से कम 75% मिलना चाहिए)

ii) **मिनिमम ग्रोइंग चार्ज** (MGC) = फार्मर का फ्लॉक पालन में किये कुल खर्च + फार्मर फ्लॉक पालन कुल खर्च का कम से कम 25% मिलना अनिवार्य है।

कम्पनीज : मनमर्जी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नियमावली

इसमें घोर अपारदर्शिता है, ग्रोइंग चार्ज गणना व भुगतान में फार्मर फ्लॉक पालन कुल खर्च पर कोई आंकलन नहीं किया जाता है, सिर्फ मन-माफिक थोपा जाता है।

पोल्ट्री इंट्रीग्रेशन किसान लागत खर्च व आय शीट

क्र.स.	उत्पादन लागत खर्च गणना	वार्षिक खर्च (रु)	मासिक खर्च (रु)	फ्लॉक लागत (रु)
1	लेबर - कुशल श्रमिक		✓	✓
2	लेबर- अकुशल श्रमिक		✓	✓
3	बिछावन (Litter)			✓
4	लकड़ी का बुरादा			✓
5	ब्रुडिंग - हीटिंग			✓
6	बिजली खर्च		✓	✓
7	डीजल खर्च		✓	✓
8	पेट्रोल खर्च		✓	✓
9	पोल्ट्री हाउस सफाई/कीटाणुशोधन			✓
10	जल उपचार और पानी खर्च		✓	✓
11	मेंटीनेंस खर्च- पोल्ट्री फार्म उपकरण			✓
12	मेंटीनेंस खर्च- पोल्ट्री फार्म बिल्डिंग			✓
13	तिरपाल / पल्ली / पर्दा /	✓		✓
14	बायो सिक्युरिटी खर्च			✓
15	वैक्सीन व लोडिंग खर्च			✓
16	अपशिष्ट प्रबंधन /अपशिष्ट निपटान			✓

17	इंश्योरेंस व लाइसेंस फीस	✓		✓
18	मेडिकल खर्च			✓
19	किसान व्यक्तिगत सुपरविजन खर्च		✓	✓
20	मोबाइल खर्च		✓	✓
21	अन्य खर्च		✓	✓
22	डेपरिशेशन- पोल्ट्री फार्म उपकरण	✓		✓
23	डेपरिशेशन- पोल्ट्री फार्म बिल्डिंग	✓		✓
24	ब्याज - पोल्ट्री फार्म निर्माण पूँजी		✓	✓
25	ब्याज - कार्यशील लागत पूंजी		✓	✓
26	बैंक खर्च		✓	✓
27	उपयोग भूमि किराया	✓		✓
28	अन्य अप्लिकेबल टैक्स	✓		✓
	कुल लागत खर्च (Total Expanses)			
	कुल लागत / पक्षी			
	ग्रोइंग चार्ज (कुल फ्लॉक लागत + फ्लॉक लागत का कम से कम 25%)			
	आय (Income)			
	लाभ / हानि (प्रति पक्षी)			
	लाभ / हानि (प्रति किलो)			

धन्यवाद